

05 04  
23

पत्रावली पेश की। प्राचीनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के बख्तर प्राचीनी एवं प्राचीनी अधिका आदिपत्रा अनुपस्थित रहे। प्राचीनी एवं प्राचीनी अधिका अपने द्वारा इन्डर वाजदायरी प्राचीना पर श्री आगे रखाने के प्रति गंभीर रही होने के कारण प्राचीनी का वाजदायरी प्राचीना पर इन्डर धजरी एवं अदम पेंरकी में धारिजा दिया जाया है। निर्णय आज दिनांक 05/04/23 को सुबे न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली के बख्तर सुधार होकर वाड लेखन प्रणाली है।

उप जिला कलक्टर  
लवाण

